प्रधान कार्यालय उत्तर प्रदेश जल निगम, 6–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ

पत्र सं0: 648/303–0128/सीधी भर्ती/2013 दिनांक: 28/10/2013

विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश जल निगम में लेखाकार/खण्डीय लेखाकार/वरिष्ठ सम्परीक्षक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :–

क्र0	पद का नाम	वेतनमान	रिक्तियों का विवरण				
			सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	योग
1.	लेखाकार/खण्डीय लेखाकार/वरिष्ठ सम्परीक्षक	9300–34800+ग्रेड पे 4600 + अन्य भत्ते	29	13	06	01	49

उपरोक्त रिक्तियों की कुल/वर्गीकरण संख्या आवश्यकतानुसार घटाई–बढ़ाई जा सकती हैं।

<u>लेखाकार/खण्डीय लेखाकार/वरिष्ठ सम्परीक्षक पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता:–</u> सेवा में सीधी भर्ती उन्हीं अभ्यर्थियों में से की जायेगी, जिसके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या उत्तर प्रदेश क राज्यपाल द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय की वाणिज्य में स्नातक (एकाउन्टेन्सी सहित) की उपाधि होगी।

<u>आयु सीमा:–</u> लेखाकार/खण्डीय लेखाकार/वरिष्ठ सम्परीक्षक पद हेतु दिनांक 01/07/2013 को 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक न हो।

<u>आयु सीमा में छूट:–</u> उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितो एवं भूतपूर्व सैनिकों हेतु आयु सीमा में 5 वर्ष तक छूट अनुमन्य होगी तथा विकलांग अभ्यर्थियों की आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। उ0 प्र0 जल निगम में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा उ0 प्र0 जल निगम में की गयी सेवा अवधि की 5 वर्ष तक आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के अभ्यर्थी, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी माने जायेंगे। किसी भी प्रकरण में आरक्षण हेतु मात्र एक छूट ही अनुमन्य होगी।

<u>चयन प्रक्रिया:–</u> यह दो चरणों में होगी – (1) कम्प्यूटर आधारित ऑनलाईन टेस्ट (2) साक्षात्कार

<u>लिखित परीक्षा:–</u> कम्प्यूटर आधारित ऑनलाईन परीक्षा आयोजित को जायेगी, तथा साक्षात्कार उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा लखनऊ में प्रधान कार्यालय पर किया जायेगा। कम्प्यूटर आधारित ऑनलाईन टेस्ट में तैयार योग्यता सूची के आधार पर ही साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा। कम्प्यूटर आधारित ऑनलाईन टेस्ट निर्धारित तिथियों में प्रदेश क

विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर कराया जाना प्रस्तावित है। परीक्षा कार्यक्रम एवं परीक्षा केन्द्रों का विवरण वेबसाईट : ण्नचरदण्वतह पर उपलब्ध होगा। परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश पत्रों के माध्यम से सूचना दी जायेगी, जो ण्नचरदण्वतह से अभ्यर्थियों को डाउनलोड करना होगा। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी, परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। लेखाकार/खण्डीय लेखाकार/वरिष्ठ सम्परीक्षक पद के लिए कम्प्यूटर आधारित ऑनलाईन टेस्ट की तिथि/पाली अलग–अलग हो सकती है। ऑनलाईन टेस्ट हेतु पाठ्यक्रम की सूचना दिनांक 06/11/2013 के बाद वेबसाईट ण्नचरदण्वतह पर उपलब्ध होगी।

<u>आवेदन पत्रः–</u> अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाईन आवेदन भरा जायेगा तथा निर्धारित शुल्क ई–चालान के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया खाता संख्या 33403991329 में जमा की जायेगी अथवा ऑनलाईन भुगतान डेबिट/क्रेडिट कार्ड/स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरे जाने की प्रारम्भिक तिथि 06/11/2013 होगी एवं अन्तिम तिथि 05/12/2013 होगी। ई–चालान द्वारा बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि 07/12/2013 होगी। विलम्ब से प्राप्त होने वाले अथवा अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर एवं पासपोर्ट साईज की फोटो, हाईस्कूल मार्कशीट (जन्मतिथि हेतु), बी0कॉम अंक तालिका एवं सर्टिफिकेट, चालान प्रति, आरक्षण हेतु प्रमाण पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रति अपने पास तैयार रखेंगे, जिसकी आवश्यकता ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के बाद कन्फरमेशन पेज की हार्ड कॉपी अभ्यर्थी की फोटो एवं हस्ताक्षर के साथ वित्त निदेशक, उ0 प्र0 जल निगम, 6–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ के पते पर स्पीड पोस्ट द्वारा दिनांक 15/12/2013 के पूर्व भेजी जायेगी। आवेदन पत्र में स्व–प्रमाणित एक फोटो संलग्न करना व आवेदन पत्र के साथ शक्षिक योग्यता के प्रमाण–पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, आरक्षित वर्ग के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र, अनुभव प्रमाण–पत्र यदि कोई हो, की स्व–प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है। <u>आवेदन पत्र लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में उत्तर प्रदेश जल निगम में लेखाकार/खण्डीय लेखाकार/वरिष्ठ सम्परीक्षक के पद भर्ती हेतु आवेदन अवश्य लिखें। अभ्यर्थी को परीक्षा प्रवेश पत्र डाक के माध्यम से नहीं भेजा जायेगा।</u>

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के लिए वैध ई–मेल आइ0डी0 एवं मोबाईल नम्बर का होना आवश्यक है तथा इन दोनों व्यवस्थाओं को नियुक्ति प्रक्रिया की समाप्ति तक चालू अवस्था में रखना आवश्यक है ताकि आवश्यक सूचनायें भेजी जा सकें। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के बाद प्राप्त यू0पी0जे0एन0 यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड अभ्यर्थी को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे सुरक्षित रखना आवश्यक होगा क्योंकि भविष्य में प्रवेश पत्र इसी यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड से उपलब्ध होगा।

<u>आवेदन शुल्कः–</u> ऑनलाईन आवेदन के साथ निम्नानुसार आवेदन शुल्क ई–चालान/ऑनलाईन भुगतान के माध्यम से जमा किया जाना अनिवाय होगा। जमा शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। आवेदन शुल्क जमा करने हेतु बैंक चार्जेस का भुगतान अभ्यर्थी द्वारा किया जायेगा।

क्र0सं0	पद का नाम	आवेदन शुल्क	
		सामान्य/अन्य पिछड़ा	अनु0जाति/अनु0जनजाति

		वर्ग	
1.	लेखाकार/खण्डीय लेखाकार/वरिष्ठ सम्परीक्षक	रू0 1000.00	रू0 500.00

<u>आवश्यक निर्देशः–</u>

(1) अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।

(2) उत्तर प्रदेश जल निगम लेखाकार सेवा विनियमावली, 1997 के अनुसार विज्ञप्ति पदों पर ज्येष्ठता सूची (मेरिट) के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

(3) जो अभ्यर्थी सरकारी विभाग/निगम में कार्यरत् हैं, वह उचित माध्यम द्वारा ही आवेदन करें। उल्लेखनीय है कि अभ्यर्थी को नियुक्ति के पूर्व अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(4) नियुक्ति अधिकारो के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह बिना कारण बताये प्राप्त आवेदन पत्रों में से किसी एक अथवा सभी प्रार्थना पत्रों को निरस्त कर दें।

(5) आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को अपने बैंक का नाम एवं खाता संख्या आदि का विवरण अंकित करना अनिवार्य है।

(6) आनलाईन टेस्ट, साक्षात्कार एवं चयन के सम्बन्ध में चयन समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

(7) आनलाईन टेस्ट एवं साक्षात्कार के लिए कोई यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा।

(8) विज्ञापन में किसी प्रकार की प्रकाशन त्रुटि के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा, विभाग का मूल विज्ञापन ही मान्य होगा।

(9) ऐसे विवाहित पुरूष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी, जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे, जब तक महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो।

(10) आवेदन पत्र से संबंधित अन्य विवरण अभ्यर्थी वेबसाइट ॣणनचरदण्वतह से प्राप्त कर सकते हैं।

(11) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को समस्त चयन/परीक्षा से डिबार किया जा सकता है तथा अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(12) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को अपने व्यय पर नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। स्वास्थ्य परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति दी जायेगी।

(13) साक्षात्कार के समय सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र, तकनीकी अर्हता से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र एवं अंकतालिका, चरित्र प्रमाण पत्र, अन्य विभाग में कार्यरत होने की दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र, विकलांग होने की दशा में मेडिकल सर्टिफिकट मूलरूप में प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा तथा अनुपयुक्त माना जायेगा।

(14) भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में अन्य जानकारियाँ समय–समय पर उत्तर प्रदेश जल निगम की वेबसाइट ृणनचरदण्वतह से की जा सकती हैं। भर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में सम्भावित महत्वपूर्ण तिथियाँ निम्न प्रकार होंगी–

क्र0सं0	गतिविधि	तिथि
1.	ऑनलाईन आवेदन पत्र	06/11/2013 से 05/12/2013
2.	ऑनलाईन प्रवेश पत्र डाउनलोड करना	11/12/2013 से 21/12/2013
3.	ऑनलाईन परीक्षा	22/12/2013

(15) भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में किसी भी जानकारी हेतु टॉल फ्री नम्बर 1800–1200–711 एवं टॉल्ड नम्बर 0522–66567111 पर ही सम्पर्क किया जा सकता है, यह सुविधा दिनांक 06/11/2013 से 22/12/2013 तक प्रातः 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक उपलब्ध रहेगी। प्रश्नगत जानकारी हेतु कार्यालय में किसी से सम्पर्क करना निषिद्ध है।

(16) किसी भी विवाद की दशा में न्यायायिक क्षेत्र, लखनऊ ही मान्य होगा।

(अब्दुल गनी)
वित्त निदेशक